35

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3847–एक/2013 – विरूद्व – आदेश दिनांक -- 18–8–2011 – पारित व्दारा – अपर कलेक्टर सिवनी – प्रकरण कमांक 19/2010–11 अ–19 निगरानी

सुरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र अयोध्याप्रसाद
ग्राम डुँगरिया थाना कान्हीवाड़ा तहसील
व जिला सिवनी मध्य प्रदेश
हाल जटार अस्पताल के पास बारापत्थर
अकबर बार्ड सिवनी जिला सिवनी ----आवेदक

विरूद्व

1– हेमन्त मिश्रा पुत्र स्व. सुन्दरलाल मिश्रा
2– प्रभातकुमार मिश्रा पुत्र स्व. सुन्दरलाल मिश्रा
3– श्रीमती छोटीवाई पत्नि स्व. सुन्दरलाल मिश्रा
तीनों निवासी कटंगी रोड शहीदवार्ड सिवनी
4– श्रीमती स्मिता तुमाने पत्नि संजय तुमाने
बी/102 संचयनी प्रेस्टीज काम्पलेक्स
स्वालम्बी नगर, नागपुर महाराष्ट्र
5– मो.नासिर हुसैन पुत्र अ.बहीद खान
झण्डाटोला डुंगरिया पोस्ट सांल्हे
थाना कान्हीवाड़ा तहसील व जिला सिवनी ----अनावेदकगण
6-- म0प्र0शासन

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला)
(अनावेदक –1 से 5 सूचना उपरांत अनुपस्थित--एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 9-10 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर सिवनी व्दारा प्रकरण कमांक 19/2010–11 अ–19, स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–8–11 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अन्य ग्रामीणों व्दारा वाद

विचारित भूमि के अवैध विक्रय की शिकायत की जॉच कर तहसीलदार सिवनी ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 5–9–2009 अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी के माध्यम से कलेक्टर सिवनी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि भूतपूर्व सैनिक सुन्दरलाल मिश्रा को तत्समय तहसीलदार सिवनी ने 4–7–1968 को ग्राम डुमरिया में पुराना खसरा नंबर 11, 205/3क, 205/3 ख (बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे नंबर 40,218,220 कुल रकबा 4.07 हैक्टर) का अस्थाई पटटा प्रदान किया था। भूतपूर्व सैनिक सुन्दरलाल मिश्रा को मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी अनावेदक कमांक 1 से 3 का दिनांक 11–8–1993 को नामानतरण हुआ, जिसके वाद इन भूमिस्वामियों ने अस्थाई पटटे की भूमि को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लॅघन करते हुये अनावेदक कमांक 4 एंव 5 को निम्नानुसार भूमि का विक्रय कर दिया है :–

1– नसीर खॉ भूमि सर्वे नंबर 218,220 रकबा 1.90 हैक्टर विक्रय दि. 7–1–03

2– श्रीमती स्मिता ,, 40 ,, 2.17 हैक्टर ,, 31–8–07

उक्त पर से कलेक्टर सिवनी ने पक्षकारों के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की। कलेक्टर एंव अपर कलेक्टर सिवनी के बीच कार्य–विभाजन होने पर दिनांक 8–12–10 को प्रकरण अपर कलेक्टर सिवनी को अंतरित होने पर प्रकरण कमांक 19/2010–11 अ–19 स्वमेव निगरानी पर दर्ज किया जाकर पक्षकारों की सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर व्दारा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 18–8–2011 पारित किया तथा संहिता की धारा 165 (7–ख) के उल्लॅघन में बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय करना पाये जाने उक्तांकित विक्रय पत्रों के आधार पर केतागण के नामान्तरण निरस्त करते हुये भूमि पूर्ववत् पटटाग्रहीता के उत्तराधिकारी अनावेदक कमांक 1 से 3 के नाम करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 को वार बार सूचना पत्र भेजे गये। सूचना पत्रों के सम्यक निर्वहन की जानकारी के अभाव में उन्हें पॅजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, इसके वाद भी वह अनुपस्थित है जिसके कारण

उनके विरूद्व एकपक्षीय किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर सिवनी व्दारा प्रकरण कमांक 19/2010–11 अ–19 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–8–11 के परीक्षण पर पाया गया कि यह तथ्य निर्विवाद है कि :–

1. भूतपूर्व सैनिक सुन्दरलाल मिश्रा को तत्समय तहसीलदार सिवनी ने 4–7–1968 को ग्राम डुमरिया के पुराना खसरा नंबर 11, 205/3क, 205/3 ख (बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे नंबर 40,218,220 कुल रकबा 4.07 हैक्टर) का अस्थाई पटटा प्रदान किया था।
2. भूतपूर्व सैनिक सुन्दरलाल मिश्रा की मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी अनावेदक कमांक 1 से 3 का 11–8–1993 का नामानतरण हुआ है किन्तु भूमि पूर्ववत् अस्थाई पटटे पर धारित रही।
3. उपरोक्त पद 4 (2) के नामांत्रितियों ने शासकीय अस्थाई पटटे की भूमि को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लॅघन करते हुये अनावेदक कमांक 4 एंव 5 को भूमि का विकय किया है।

जब तहसीलदार के जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 5–9–2009 से उपरोक्तानुसार तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो चुके हैं, तब अपर कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 18–8–2011 के पद 16, 17 18 में यह निर्णय देना कि :–

(1) पद 16 – उत्तरावादी कमांक 4 श्रीमती स्मिता तुमाने पत्नि संजय तुमाने को पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 31–8–2007 से ग्राम डुगरिया स्थित कयशुदा भूमि ख0नं0 40 रकबा 2.169 है0 पर विधिनुरूप कोई अधिकार अथवा स्वत्व अर्जित न होने के कारण कयशुदा उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में उनका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कराने की पात्र होना नहीं पाई जाती है।

(2) पद 17 – उत्तरवादी कमांक 5 केता नासिर हुसैन खॉ पिता वहीद खां निवासी डुगरिया तहसील व जिला सिवनी व्दारा भी विकेता उत्तरावादी कमांक 1

से 3 से ग्राम डुगरिया स्थित ख.नं. 218 एंव 220 रकबा 0.03 एंव 1037 है. कुल रकबा 1.90 है. कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त न करने के अभाव में तथा इस विकय पत्र के पंजीयन में संहिता की धारा 165 कं उपधारा 7(ख) का उल्लॅघन स्पष्टतः प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उत्तरवादी केता नासिरखां को भी बैधानिकता के अनुरूप उक्त कयशुदा भूमि पर कोई भी बैधानिक अधिकार अथवा स्वत्व अतिर्जत होना नहीं पाये जाते हैं और इस प्रकार के अवैध विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण अधिकारी ग्राम पंचायत डुगरिया की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20 / 1 / 2003 में केता नासिर हुसैन खां का उक्त कयशुदा भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने संबंधी पारित संकल्प / आदेश भी विधि विरूद्व होने के फलस्वरूप निरस्त किया जाता है।

(3) पद 18 – उत्तरवादी कमांक 1 से 3 हेमंत, प्रभात एंव छोटीवाई मिश्रा भूतपूर्व सैनिक सुन्दरलाल मिश्रा जिनका निधन अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1982 में होना पाया जाता है, के बैधानिक पुत्र एंव पत्नि होना पाई जाती है और उन्हें (उत्तरवादी कमांक 1 से 3) साधारणतया नियमों अथवा विधि की जानकारी न होना स्वभाविक है। इस प्रकार मृत भूतपूर्व सैनिक श्री सुन्दरलाल मिश्रा के उत्तराधिकारी पुत्र एंव पत्नि न्यायहित में नियमों एंव विधियों की अज्ञानता का लाभ पाने के पात्र होना पाये जाते हैं और उन्हें प्रकरणयुक्त कृषि भूमियां जो उन्हें उनके पिता भूतपूर्व सैनिक श्री सुन्दरलाल मिश्रा के निधन उपरांत उत्तराधिकार में प्राप्त होना पाई जाती है के लाभ से बंचित किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अपर कलेक्टर के उपरोक्त निष्कर्षो के अवलोकन पर विस्मयबोधक स्थिति है क्योंकि जब उनके समक्ष आदेश के पद 16, 17, 18 में की गई विवेचना से प्रकरण के तथ्य पूर्णतः खुल चुके हैं कि भूतपूर्व सैनिक स्व. सुन्दरलाल मिश्रा को दिया गया पटटा अस्थाई है

उसके विधिक वारिसान व्दारा पटटे की शर्तो का उल्लॅघन किया गया है और शासकीय अस्थाई पटटे की भूमि को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के उल्लॅघन में विकय किया है जबकि मध्य प्रदेश शासन ने उदारनीति के अंतर्गत परिवार के पालन-पोषण हेतु अस्थाई पटटे पर भूतपूर्व सैनिक होने के नाते भूमि प्रदान की गई है – पटटा अस्थाई होने से पटटाग्रहीता के वारिसान व्दारा की गई त्रृटि स्पष्ट होने के वाद उन्हें अपर कलेक्टर ने यह अंकित कर अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है कि उन्हें कानूनी ज्ञान नहीं है अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 18–8–2011 के पद 18 में लिया गया यह निर्णय अनुचित होना पाया गया है जिसके कारण अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 18–8–2011 के पद 18 का निष्कर्ष पुर्नविचार योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर सिवनी व्दारा प्रकरण कमांक 19/2010–11 अ–19 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–8–11 के पद 18 में लिये गये उक्तानुसार निर्णय को निरस्त करते हुये प्रकरण कलेक्टर सिवनी की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विचाराधीन प्रकरण को कलेक्टर सिवनी स्वयं विचार में लें तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर